


RBE No.51/2019



PCPO's Sl.No.63/2019

No. E/132/O/ECR/HJP

Dated:- 25.04.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय : Amendment in sub-rule (I)(a)(1) of 1313.(F.R.22) of Chapter - 13 contained in Railway Fundamental - Rules - Pay and Increments, of Indian Railway Establishment Code, Vol.II.


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.2018/F(E)II/3(1)/1 Dated: 15.03.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


25.4.19
(सौरभ सावण)

वकाधि/आई.आर.एण्ड.डब्ल्यू
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

25 MAR 2019

वेब बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं० 11

No.2018/F(E)II/3(1)/1

The General Managers (P)/CAOs,
All Indian Railways/PUs
(As per Mailing list)



RBE No 51/2019

New Delhi, dt.15.03.2019

066337
25 MAR 2019

Sub: Amendment in sub-rule (I) (a) (1) of 1313. (F.R. 22) of Chapter -13 contained in Railway Fundamental – Rules – Pay and Increments, of Indian Railway Establishment Code, Vol.II.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that sub-rule (I) (a) (1) of 1313. (F.R. 22) of Chapter -13 contained in Railway Fundamental – Rules – Pay and Increments, of Indian Railway Establishment Code, Vol.II may be amended as in the Advance Correction Slip No. 63 attached.

2. This amendment will come into force w.e.f. 24.11.2018.
3. Hindi version is enclosed.

S. Chaturvedi

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board

No.2018/F(E)II/3(1)/1

New Delhi, dt.15.03.2019

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi

(20 spares)

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआर
मुकाधि
सकाधि
विधि अधिकारी

No.2018/F(E)II/3(1)/1

S. Chaturvedi
For Financial Commissioner/Railways.

New Delhi, dt.15.03.2019

Copy forwarded to FA&CAO, All Indian Railways, Production Units etc.

contd/...

Amendment in sub-rule (I) (a) (1) of 1313. (F.R. 22) of Chapter -13 contained in Railway Fundamental – Rules – Pay and Increments , of Indian Railway Establishment Code, Vol.II effective from 24.11.2018.:

In sub-rule (I) (a) (1) of 1313. (F.R. 22) of Railway Fundamental – Rules – Pay and Increments , contained in Chapter 13 of Indian Railway Establishment Code, Vol.II , the following sub-clause shall be substituted w.e.f. 24.11.2018, namely:-

'1313. (F.R.22) (1) The initial pay of a railway servant who is appointed to a post on a time scale of pay is regulated as follows:-

(a) (1) where a Railway servant holding a post, other than a tenure post, in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity, as the case may be, subject to the fulfillment of the eligibility conditions as prescribed in the relevant Recruitment Rules, to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than those attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale shall be fixed by giving one increment in the level from which the Railway servant is promoted and he or she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed and if no such cell is available in the level to which promoted or appointed, he shall be placed in the next higher cell in that level.

Save in cases of appointment on deputation to an ex-cadre post. or to a post on ad hoc basis or on direct recruitment basis, the Railway servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment or to have the pay fixed initially at the next higher cell in the level of the post to which he or she is promoted on regular basis and subsequently, on the date of accrual of next increment in the level of the post from which Railway Servant is promoted, his pay shall be re-fixed and two increments (one accrued on account of annual increments and the second accrued on account of promotion) shall be granted in the level from which the Railway Servant is promoted and he or she shall be placed, at a cell equal to the figure so arrived, in the level of the post to which he or she is promoted; and if no such cell is available in the level to which he or she is promoted, he or she shall be placed at the next higher cell in that level.

In cases where an ad hoc promotion is followed by regular appointment without break, the option is admissible from the date of initial appointment or promotion, to be exercised within one month from the date of such regular appointment.

In cases where an officer has retired as ad-hoc before being regularized to that post and later on has been assessed during the process of regularization and found fit by the competent authority along with his or her juniors, who are still in service and are eligible to avail of the option facility from a date on which the retired employee was still in service, the same option facility shall also be extended to the retired employee, to be exercised within three months from the date when his or her junior became eligible to avail of option facility and in cases where such retired employee was himself the junior most, he or she may exercise the option facility within three months from the date when his or her immediate senior became eligible to avail of option facility:

Provided that where a Railway servant is, immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the level of the lower post, his initial pay in the level of the higher post shall be fixed at the cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the level of the lower post and if no such cell is available in the level to which he is promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level."

(Authority Board's letter No.2018/F(E)II/3(1)/1, dated 15/03/2019)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 51/2019

सं. 2018/एफ(ई)11/3(1)/1


नई दिल्ली, दिनांक 15.03.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-11 के अध्याय 13, रेल मूल नियम - वेतन एवं वेतन वृद्धियां के नियम 1313 (मू.नि.22) के उप नियम (1)(क)(1) में संशोधन।

राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-11 के अध्याय 13, रेल मूल नियम - वेतन एवं वेतन वृद्धियां के नियम 1313 (मू.नि.22) के उप नियम (1)(क)(1) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 63 के अनुसार संशोधित किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 24.11.2018 से प्रवृत्त होगा।



(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक, वित्त(स्था)
रेलवे बोर्ड

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या :- 63

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II के अध्याय 13, रेल मूल नियम - वेतन एवं वेतन वृद्धियां के नियम 1313 (मू.नि.22) के उप नियम (I)(क)(1) में दिनांक 24.11.2018 से प्रवृत्त संशोधन:

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II के अध्याय 13, रेल मूल नियम - वेतन एवं वेतन वृद्धियां के नियम 1313 (मू.नि.22) के उप नियम (I)(क)(1) में निम्नलिखित उप-खंड, दिनांक 24.11.2018 से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:

1313 (मू.नि.22) (1) समय वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त किए गए रेल सेवक के प्रारंभिक वेतन का विनियमन निम्नलिखित रूप से होगा:

(क)(1) जहां किसी अधिष्ठायी या अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में सावधिक पद से भिन्न कोई पद धारण करने वाला कोई रेल सेवक, यथास्थिति, अधिष्ठायी, अस्थाई, या स्थानापन्न हैसियत में ऐसी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो सुसंगत भर्ती नियमों में विहित की जाएं, किसी ऐसे अन्य पद पर प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वहां समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस स्तर में जिससे रेल सेवक की प्रोन्नति हुई है, एक वेतनवृद्धि देकर नियत किया जाएगा और उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।

कॉर्डर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर या सीधी भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों के सिवाय, रेल सेवक को यह विकल्प प्राप्त होगा जिसका वह, यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग कर सकेगा कि वह इस नियम के अधीन वेतन को ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से नियत कराए या वेतन को आरंभ में ही जिस पर वह नियुक्ति आधार पर प्रोन्नत किया गया है उस पद के स्तर में अगले उच्चतर सैल में नियत कराए और तत्पश्चात उस पद के स्तर में, जिससे रेल सेवक की प्रोन्नति हुई है, अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को, उसका वेतन पुनः नियत किया जाएगा और उस स्तर में, जिससे रेल सेवक की प्रोन्नति हुई है, दो वेतन वृद्धियां (पहली वार्षिक वेतनवृद्धि के कारण उद्भूत तथा दूसरी प्रोन्नति के कारण उद्भूत) दी जाएगी और उसे उस पद पर,

जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर पर समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि उस पद, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां तदर्थ प्रोन्नति के पश्चात बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति कर दी जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से ग्राह्य होगा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख के एक मास के भीतर किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां कोई अधिकारी उस पद पर नियमित होने से पूर्व तदर्थ रूप में सेवानिवृत्त हो गया है और तत्पश्चात उसका नियमितीकरण की प्रक्रिया के दौरान निर्धारण किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उसके ऐसे कनिष्ठों के साथ ठीक पाया गया है, जो अभी भी सेवा में हैं तथा उस तारीख से जिसको सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सेवा में था, विकल्प की सुविधा लेने के लिए पात्र है, वहां विकल्प की वही सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी उस तारीख से, जब उसके कनिष्ठ विकल्प की सुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र हो गए थे, तीन मास के भीतर प्रयोग करने के लिए विस्तारित की जाएगी और उन मामलों में जहां ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं कनिष्ठतम था, वहां वह उस तारीख से, जिसको उसका आसन्न ज्येष्ठ विकल्प की सुविधा पाने के लिए पात्र हो गया था, तीन मास के भीतर विकल्प सुविधा का प्रयोग कर सकेगा:

परंतु जहां कोई रेल सेवक किसी उच्चतर पद पर नियमित आधार पर अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के ठीक पूर्व निम्नतर पद के स्तर का अधिकतम वेतन ले रहा है, वहां उच्चतर पद के स्तर में उसका प्रारंभिक वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसका वेतन निम्नतर पद के स्तर में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम को बढ़ाकर उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में नियत किया जाएगा, और यदि उस स्तर में, जिसमें उसे प्रोन्नत या नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।

(प्राधिकार बोर्ड का प्र. सं. 2018/एफ(ई)॥3(1)/1, दिनांक 15/03/2019)

PCPols no 03/19
E/132/01 ECR/H/08
em 25/4/19